(2021) 7 एस. सी. आर 634
कर्नाटक रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर
विकास सीमित
विरूद्ध
टी. पी. नटराज और अन्य
(2021 की सिविल अपील क्रमांक 5720)
21 सितंबर, 2021

(एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति)

कर्नाटक राज्य सेवक (आयु निर्धारण) अधिनियम, 1974-जन्म तिथि में परिवर्तन-सेवा अभिलेखों में, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 04.01.1960 को 24.01.1961 में बदलने की मांग की। इसके अनुसार, प्रतिप्रार्थी नं 1 ने प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलार्थी द्वारा इसका विरोध किया गया कि निगम ने 1974 के अधिनियम और दिनांक 17.05.1991 के प्रस्ताव पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने प्रकरण खारिज कर दिया। जबकि उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार किया गया कि यह अत्यधिक असंभव था कि प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा सेवा में शामिल होने की तारीख से तीन साल के भीतर या अधिनियम, 1974 के प्रारंभ की तारीख से एक साल के भीतर उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1, निगम के कर्मचारी होने के नाते, निगम के कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमों की जानकारी होनी चाहिए थी। निगम-कानून की अज्ञानता वैधानिक प्रावधानों की प्रयोज्यता से बचने का विकल्प नहीं हो सकती- प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 कर्मचारी को भी देरी और विलंब के आधार पर किसी भी राहत या जन्म तिथि में परिवर्तन का हकदार नहीं था क्योंकि जन्म तिथि में परिवर्तन का अनुरोध सेवा में शामिल होने के 24 साल बाद किया गया था।

अपीलों का निराकरण कर न्यायालय द्वारा

यह अभिनिर्धारित किया कि 1. अपीलार्थी निगम ने अधिनियम, 1974 के प्रावधानों को दिनांक 17.05.1991 के प्रस्ताव द्वारा गृहण किया। अतः इस प्रकार अधिनियम, 1974 के अनुसार जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध जैसा कि वर्ष 1991 में अपीलार्थी-निगम द्वारा ग्रहण किया गया था, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 कर्मचारी द्वारा अपीलार्थी-निगम के कर्मचारी होने से दिनांक 17.05.1991 से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक था। यद्यपि, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 कर्मचारी ने जन्म तिथि में बदलाव के लिए सूचना पत्र दिनांक 23.06.2007 के आलोक में अनुरोध किया। जो कि सेवा में पदग्रहण करने के 24 वर्ष पश्चात तथा सेवा और की तारीख से तथा अपीलार्थी-निगम द्वारा अधिनियम (अधिनियम, 1974) के ग्रहण लगभग 16 साल के अंतराल के बाद है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम, 1974 की जानकारी के संबंध में कर्मचारी के ध्यान में लाया गया था उस प्रस्ताव की तारीख 17.05.1991 रिकॉर्ड में नहीं है और इसलिए प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1-कर्मचारी को अधिनियम, 1974 की प्रयोज्यता के बारे में जानकारी नहीं होगी। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निगम के कर्मचारी होने के नाते, उन्हें निगम के कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमों को जानना चाहिए था। कानून की अज्ञानता वैधानिक प्रावधानों की प्रयोज्यता से बाहर निकलने का विकल्प नहीं हो सकता है। (चरण 8) (642-बी-ई)

2. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए तथा मामले में भी उच्च न्यायालय द्वारा सुविधा के लिए स्वीकार किया जाता है, तब भी प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1-कर्मचारी देरी और विलंब के आधार पर किसी भी राहत या जन्म तिथि में परिवर्तन का हकदार नहीं था क्योंकि जन्म तिथि में परिवर्तन का अनुरोध सेवा में शामिल होने के 24 साल बाद किया गया था। इस स्तर पर, जन्म तिथि में सुधार के मुद्दे पर इस अदालत के कुछ फैसलों को संदर्भित करने की आवश्यकता है। (पैरा 9) (642-एफ-जी)

3. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जन्म तिथि परिवर्तन पर कानून को संक्षेप में निम्नानुसार संक्षिप्तः इस प्रकार हैं कि (प) जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन केवल लागू प्रासंगिक प्रावधानों/विनियमों के अनुसार ही हो सकता है; (पप) भले ही ठोस साक्ष्य हो, लेकिन इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है; (पपप) आवेदन को देरी और विलंब के आधार पर भी अस्वीकार किया जा सकता है, विशेष

रूप से जब यह सेवा के अंतिम चरण में किया जाता है और/या जब कर्मचारी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाला होता है। (पैरा 10) (647-ए-सी)

4. अतः विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, परिवर्तन के लिए प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 का जन्म तिथि के परिवर्तन हेतु आवेदन को विलंब के आधार पर भी अस्वीकार किया जाना उत्तरदायी था इस प्रकार प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 घोषणा की डिक्री का हकदार नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और कानून में मान्य नहीं है। (पैरा 11) (647-सी-डी)

गृह विभाग वी. आर. किरूवाकरन (1994) 1 पूरक एससीसी 155: (1993) 2 पूरक। एससीआर 376; एम. पी. बनाम राज्य प्रेमलाल श्रीवास (2011) 9 एस. सी. सी. 664ः (2011) 11 एससीआर 444; जीवन भारतीय बीमा निगम और अन्य बनाम आर. बासवराजू (2016) 15 एससीसी 781; भारत कोकिंग कोल सीमित और ओआरएस। वी. श्याम किशोर सिंह (2020) 3 एससीसी 411 (2020) 2 एस. सी. आर. 597-पर निर्भर किया गया।

संदर्भित न्यायदृष्टांत

(1993) 2 पूरक। एससीआर 376	**निर्भर**	**पैरा 4.3**
(2011) 11 एससीआर 444	**निर्भर**	**पैरा 4.3**
(2020) 2 एससीआर 597	**निर्भर**	**पैरा 4.3**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील क्रमांक 5720 2021 .

उच्च न्यायालय कर्नाटक के 11.03.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2013 की नियमित प्रथम अपील क्रमांक 1674 एवं 2021 की सिविल अपील क्रमांक 5721।

अपीलार्थी की ओर से गुरुदास एस. कन्नूर, वरिष्ठ अधिवक्ता चिनमय देशपांडे, अनिरुद्ध सांगनेरिया, अधिवक्ता।

प्रतिप्रार्थीगण की ओर से अशोक बन्निदिन्नी, वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय घोषित किया गया द्वारा

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. विवादित फैसले से असंतुष्ट होकर तथा 2013 की नियमित प्रथम अपील (आर. एफ. ए.) छव.1674 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.03.2019 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने द्वारा उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है तथा प्रतिप्रार्थी 1-कर्मचारी और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को खारिज कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज कर दिया है-मूल वादी ने कर्मचारी की जन्म तिथि घोषित करते हुए, मूल प्रतिवादी-कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास लिमिटेड (इसके बाद मूल प्रतिवादी-अपीलकर्ता-निगम के रूप में संदर्भित) ने वर्तमान को अपील पेश की है।

2. विवादित फैसले से असंतुष्ट होकर तथा धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की रिट याचिका संख्या 109447 (एस-आर. ई. एस.) में पारित दिनांक 05.11.2019 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी है तथा 2013 के आर. एफ. ए. छव.1674 में पारित निर्णय और आदेश (जो 2020 के एस. एल. पी. क्रमांक 2368 से उत्पन्न 2021 की सिविल अपील क्रमांक 5720 का विषय है) कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास लिमिटेड को मूल रिट याचिकाकर्ता के निर्णय पर जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। मूल प्रतिवादी-कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने 2021 की एसएलपी संख्या 1062 से उत्पन्न 2021 की सिविल अपील क्रमांक 5721 है।

2021 की सिविल अपील 5720

3. संक्षेप में वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैंः

3.1 मूल वादी प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 वर्ष 1984 में अपीलार्थी-निगम में नियुक्त था। प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 के सर्विस रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि एस. एस. एल. सी. माक्र्स कार्ड के अनुसार 04.01.1960 के रूप में दर्शायी गयी थी। प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा लगभग 24 वर्षों के अंतराल के बाद जन्म तिथि को 04.01.1960 से 24.01.1961 में परिवर्तित किए जाने का अनुरोध किया। इसके पश्चात प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 ने बैंगलोर में अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश के समक्ष घोषणा के लिए एक प्रकरण पेश किया की घोषित किया जाए कि उनकी जन्म तिथि 24.01.1961 है। अपीलार्थी द्वारा कर्नाटक राज्य सेवकों पर निर्भर निगम (आयु निर्धारण) अधिनियम, 1974 (इसके बाद अधिनियम, 1974 के रूप में संदर्भित) और कर्नाटक सिविल सेवा नियमों और संबद्ध कानूनों को अपनाते हुए अपीलार्थी-निगम द्वारा पारित प्रस्ताव पर निर्भर कर उक्त प्रकरण का विरोध किया गया था। उक्त नियम में यह प्रावधान किया गया था कि सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि परिवर्तन का अनुरोध यह पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर या 1974 के कर्नाटक अधिनियम के प्रारंभ से एक साल के भीतर किया जाएगा। जन्म तिथि को बदलने का अनुरोध करने में प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1 मूल वादी की ओर से देरी और विलंब के आधार पर भी प्रकरण का विरोध किया गया था अधिनियम, 1974 की धारा 5 (2) पर भरोसा करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय और डिक्री दिनांकित 28.07.2013 के माध्यम से प्रकरण को खारिज कर दिया।

3.2 निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 मूल वादी का प्रकरण खारिज किया था। जिसके पश्चात मूल वादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित प्रथम अपील क्रमांक 1674/2013 पेश की। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2019 को वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया एवं व्यक्त किया कि यह नहीं माना जा सकता कि वादी द्वारा 3 वर्ष के भीतर उसकी पदभार ग्रहण करने की दिनांक से उचित कार्यवाही की गई तथा यह भी निर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा पारित संकल्प दिनांक 17.05.1991 तथा कर्नाटक सिविल सर्विस रूल वादी के संज्ञान में नहीं लाए गए थे।

3.3 निर्णय से असंतुष्ट होकर तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2019 को पारित निर्णय और आदेश, जिसमें कथित अपील स्वीकार कर और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को खारिज करते हुए तथा इसके परिणामस्वरूप वाद का आदेश देते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल वादी की जन्मतिथि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज 04.01.1960 को परिवर्तित कर दिनांक 24.01.1961 जन्म तिथि घोषित किया गया, जिसके संबंध में मूल प्रतिवादी -कॉरपेरेशन ने वर्तमान अपील पेश की है।

4. अपीलार्थी-निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरुदास एस. कन्नूर ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में विशेष रूप से संदर्भित कर अनुरोध किया है कि जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए 24 वर्षों के बाद किया गया था और वैधानिक प्रावधानों को अस्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रकरण को स्वीकार कर घोषणात्मक राहत देने में गंभीर त्रुटि की। यह भी व्यक्त किया कि अधिनियम, 1974 की धारा 5 (2) द्वारा अनिवार्य रूप से राज्य सेवक के लाभ के लिए जन्म तिथि में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कर्मचारी ने उस तारीख से तीन साल के भीतर इस उद्देश्य के लिए आवेदन नहीं किया हो जिस दिन उसकी आयु और जन्म तिथि स्वीकार की जाती है और सेवा रजिस्टर या पुस्तक या सेवा के किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है या अधिनियम, 1974 के प्रारंभ की तारीख से एक साल के भीतर, जो भी बाद में हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अधिनियम, 1974 को वर्ष 1991 में अपीलार्थी-निगम द्वारा ग्रहण किया गया था तथा जो कि दिनांक 17.05.1991 है को प्रतिवादी संख्या 1-मूल वादी को कम से कम एक वर्ष के भीतर जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध करना चाहिए था, अर्थात जब प्रस्ताव अपीलार्थी कर्नाटक रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा पारित किया गया था।

अधिनियम, 1974 और संबद्ध कानूनों को ग्रहण किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि - वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 1-कर्मचारी ने दिनांक 23.06.2007 को प्रथम बार आवेदन किया। अपीलार्थी निगम द्वारा अधिनियम (अधिनियम, 1974) को ग्रहण की तारीख से लगभग 16 वर्ष बीतने के बाद पहली बार दिनांकित नोटिस के माध्यम से, अर्थात उनके सेवा में शामिल होने के 24 वर्ष बीतने के बाद पेश किया।

4.1 यह प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय को सराहना करनी चाहिए थी कि कानून की अज्ञानता एक विकल्प नहीं हो सकता है। यह भी व्यक्त किया है कि एक कर्मचारी होने के नाते उसे निगम के नियम तथा आदेश के संबंध में जानकारी होनी चाहिए थी।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय को देरी के आधार पर कर्मचारी के लिए उपयुक्त नहीं है और जन्म तिथि बदलने का अनुरोध किया गया था जो कि गोद लेने की तारीख से 16 साल बीतने के बाद किया गया

4.3 अपीलार्थी-निगम द्वारा अधिनियम (अधिनियम, 1974)। गृह के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर विभाग. वी. आर. किरुबाकरन, 1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी 155; स्टेट ऑफ एम. पी. बनाम प्रेमलाल श्रीवास (2011) 9 एस. सी. सी. 664; जीवन बीमा भारतीय निगम और अन्य बनाम आर. बासवराजू (2016) 15 एससीसी 781 और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य। वी. श्याम किशोर सिंह (2020) 3 एस. सी. सी. 411 निर्भर करते हैं। वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

4.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निगम ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया था कि अब तक प्रतिवादी के रूप में नं. 1 यहाँ कर्मचारी का संबंध है, आक्षेपित उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को लागू किया गया है। यद्यपि, जैसा कि अन्य प्रकरण लंबित हैं, जिसमें कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने का अनुरोध किया जिससे विवादित उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के संबंध में कॉपरेशन को सहुलियत हो।

5. श्री अशोक बन्निदिन्नी, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल वादी की ओर से द्वारा यह प्रस्तुत किया है कि जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल वादी का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को वर्ष 2019 में लागू किया गया है और उसके बाद उसने अपनी जन्म तिथि को 24.01.1961 मानते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है,

इसके अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य नहीं है जिसे वर्तमान अपील में निराकरण किया जाना आवश्यक है और इस प्रकार वर्तमान अपील जहां तक प्रतिवादी संख्या 1-मूल वादी का संबंध है, निष्फल हो गई है।

5.1 जहाँ तक 2021 की सिविल अपील 5721 से उत्पन्न होती है 2020 के एस. एल. पी. छव.1062 का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अपील भी निष्फल हो गई है क्योंकि 2019 की रिट याचिका संख्या 109447 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 05.11.2019 के आदेश के बाद, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-निगम को 2013 के आर. एफ. ए. 1670 में पारित निर्णय और आदेश के आलोक में जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के अनुरोध पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया है, उसके बाद अपीलकर्ता-निगम ने आवेदन पर पुनर्विचार किया। जिसके पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट पिटीशन भी खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिविल अपील 2020 के एस. एल. पी. 1062 से उत्पन्न 2021 का सं. 5721 है भी निष्फल हो जाते हैं।

5.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता -निगम उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्विवादित है।

6. अपीलार्थी-निगम और प्रत्यर्थी संख्या 1-कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया।

7. विवाद सेवा अभिलेख में जन्म तिथि के परिवर्तन के संबंध में है। कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु का निर्धारण कर्नाटक राज्य (आयु निर्धारण) अधिनियम, 1974; अधिनियम, 1974 की धारा 4 में अधिनियम, 1974 के अतिरिक्त आयु परिवर्तन पर रोक का प्रावधान है; अधिनियम, 1974 की धारा 5 में राज्य सेवकों की आयु या जन्म तिथि में परिवर्तन का प्रावधान है जो उप-धारा (2) के अधीन है, राज्य सरकार, किसी भी समय, जांच के बाद, किसी व्यक्ति की आयु और जन्म तिथि में परिवर्तन कर सकती है। राज्य सेवक के रूप में दर्ज माना जाता है कि वह अपने सेवा रजिस्टर या पुस्तक या सेवा के किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज है। धारा 5 की उप-धारा (2) में आगे यह प्रावधान है कि किसी राज्य के लाभ के लिए ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जब तक उस तारीख से तीन साल के भीतर जिस दिन उनकी उम्र और जन्म तिथि कर्नाटक रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ग्रहण किया है कि उसने इस उद्देश्य के लिए आवेदन नहीं किया हो, जो भी बाद में हो। अधिनियम, 1974 की धारा 6 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम, 1974 के तहत तय किए जाने वाले किसी भी प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निराकरण का अधिकार क्षेत्र न्यायालय के पास नहीं है। इसमें यह भी व्यक्त किया गया है कि अधिनियम, 1974 के तहत किसी भी निर्णय पर किसी भी मामले में विधि का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। धारा 4, धारा 5 और धारा 6 जो उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें निम्न अनुसार प्रस्तुत किया गया हैः

> 4. **आयु में परिवर्तन का अधिनियम के अतिरिक्त प्रतिबंध-** किसी भी कानून या किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी राज्य सेवक की आयु या जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि स्वीकार किया गया है और दर्ज किया गया है। या माना जाता है कि उसे उसकी सेवा में स्वीकार और दर्ज किया गया है धारा 3 के तहत रजिस्टर या पुस्तक या सेवा का कोई अन्य रिकॉर्ड, जहां तक वह ऐसे राज्य सेवक के रूप में उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित है, धारा 5 के अलावा बनाया जाएगा।
>
> 5. **राज्य सेवकों की आयु या जन्म तिथि में परिवर्तन** - (1) उप-धारा (2) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, किसी भी समय, जाँच के बाद, किसी राज्य सेवक की आयु और जन्म तिथि में परिवर्तन करें जैसा कि उसके सेवा रजिस्टर या पुस्तक या सेवा के किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज या दर्ज किया गया माना जाता हैः
>
> बशर्ते कि ऐसा कोई परिवर्तन राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं किया जाएगा यदि किसी राज्य सेवक की आयु और जन्म तिथि को स्वीकार किया गया है और दर्ज किया गया है या माना गया है कि सेवा में स्वीकार किया गया है और दर्ज किया गया है
>
> राज्य सेवक द्वारा प्राप्त सिविल न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में रजिस्टर या पुस्तक या सेवा का कोई अन्य रिकॉर्ड ऐसा सेवक बन गया) 1 बशर्ते कि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा संबंधित राज्य सेवक को उचित जानकारी दिए बिना सुनने का अवसर।
>
> (2) राज्य सेवक के लाभ के लिए ऐसा कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इस उद्देश्य के लिए उस तारीख से तीन साल के भीतर जिस दिन उसकी उम्र और जन्म तिथि

स्वीकार की जाती है और सेवा रजिस्टर या पुस्तक या सेवा के किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है या इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक साल के भीतर, जो भी बाद में हो आवेदन नहीं किया हो।

6. **न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक**- (1) किसी भी न्यायालय के पास किसी भी प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जो कि इस अधिनियम के तहत निराकृत किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय पर प्रश्न किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा।

8. जहाँ तक अपीलार्थी निगम का संबंध है, उन्होंने अधिनियम, 1974 के प्रावधानों को दिनांक 17.05.1991 के प्रस्ताव द्वारा ग्रहण किया है। इसलिए अधिनियम, 1974 के अनुसार जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध जैसा कि वर्ष 1991 में अपीलार्थी-निगम द्वारा अपनाया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1-कर्मचारी द्वारा अपीलार्थी-निगम के कर्मचारी होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक था। यद्यपि, प्रत्यर्थी संख्या 1-कर्मचारी ने जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध दिनांक 23.06.2007 के नोटिस के माध्यम से किया, अर्थात सेवा में शामिल होने के 24 साल बीतने के बाद और लगभग 16 साल बीतने के बाद। अपीलार्थी निगम द्वारा अधिनियम (अधिनियम, 1974) को ग्रहण करने की तिथि के संबंध में प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 को सूचना पत्र दिया था। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में व्यक्त किया है कि उस प्रस्ताव की तारीख 17.05.1991 रिकॉर्ड में ऐसा उल्लेखित नहीं है कि अधिनियम, 1974 को अपनाना कर्मचारी के ध्यान में लाया गया था और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1-कर्मचारी को अधिनियम, 1974 की प्रयोज्यता के बारे में पता नहीं होगा। यह भी व्यक्त किया कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निगम के कर्मचारी होने के नाते उन्हें नियमों का ज्ञान होना चाहिए और निगम के कर्मचारियों के लिए लागू विनियम कानून की अज्ञानता वैधानिक प्रावधानों की प्रयोज्यता से बाहर निकलने का विकल्प नहीं हो सकता है।

9. यह मानते हुए कि सुविधा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क उस मामले में भी स्वीकार किया जाता है यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 1-कर्मचारी देरी और विलंब के आधार पर किसी भी राहत या जन्म तिथि में परिवर्तन का हकदार नहीं था क्योंकि जन्म तिथि में परिवर्तन का अनुरोध सेवा में शामिल होने के 24 साल बाद किया गया था। इस स्तर पर, जन्म तिथि में सुधार के प्रकरण पर इस न्यायालय के कुछ फैसलों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

9.1 गृह विभाग वी. आर. किरुबाकरन (सुप्रा) के मामले में यह निम्नलिखित रूप में अवधारित किया गया है कि-

> " 7. जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन पर केवल संबंधित लोक सेवक को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि सार्वजनिक कर्नाटक रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड की जन्म तिथि में सुधार के लिए ऐसा कोई निर्देश।संबंधित कर्मचारी की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि उसके नीचे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अन्य लोग अपनी-अपनी पदोन्नति के लिए प्रभावित होते हैं। इस प्रक्रिया में। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, यदि जन्म तिथि में सुधार के कारण संबंधित अधिकारी कुछ मामलों में वर्षों तक पद पर बना रहता है, तो उस समय के भीतर कई अधिकारी जो वरिष्ठता में उससे नीचे हैं और अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमेशा के लिए पदोन्नति से वंचित हो सकते हैं।

9.2 एम. पी. राज्य विरूद्ध प्रेमलाल श्रीवास (सुप्रा) के मामले में चरण 8 और 12 में का अवलोकन और धारण निम्नानुसार किया गया हैः

> " 8. इस तथ्य पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि में सुधार से संबंध मामलों में, विशेष रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर या उसके कार्यकाल के अंतिम चरण में, न्यायालय या न्यायाधिकरण को किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि में सुधार के लिए निर्देश जारी करते समय सावधानी और सावधानी बरतनी होगी। जब तक कि न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसकी जन्म तिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जाता है और ऐसा दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या उसके अनुसार नहीं किया जाता है। संबंधित विभाग द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, और संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय किया गया हो, न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए तथा सेवा पुस्तिका के सुधार के लिए एक निर्देश देना चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार यह विचार

व्यक्त किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में शामिल होने के लंबे समय के बाद, विशेष रूप से उसके बाद, दर्ज की गई जन्म तिथि में सुधार के लिए अनुरोध करता है। तब अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय, वह अधिकार के रूप में, अपनी जन्म तिथि के सुधार का दावा नहीं कर सकता है, भले ही उसके पास यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त आधार हो कि दर्ज की गई जन्म तिथि स्पष्ट रूप से गलत है। कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता के लिए सहयोग नहीं कर सकता है जो अपने अधिकारों पर सोते हैं (भारत संघ बनाम। हरनाम सिंह ((1993) 2 एस. सी. सी. 162 1993 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 375: (1993) 24 एटीसी 92))।

12. जैसा भी हो, इस न्यायालय के मत में, जन्म तिथि के सुधार के लिए आवेदन करने में दो दशकों से अधिक का विलंब प्रत्यक्ष रूप से घातक है। यद्यपि प्रत्यर्थी का मामला, इस तथ्य के बावजूद कि कोई विशिष्ट नियम या आदेश नहीं पारित किया गया था या बनाया गया था, वह अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर ऐसा आवेदन दायर किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि ऐसी स्थिति में भी ऐसा आवेदन पेश किया जा सकता था, जिसे उचित माना जा सकता है। परंतु प्रत्यर्थी द्वारा पेश आवेदन 25 सेवा में उनके शामिल होने के वर्षों बाद, किसी भी मानक से, उचित नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से तब जब उक्त विलंब को समझाने का कोई उचित प्रयास नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी की याचिका में यह भी कोई तथ्य नहीं है कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 84 के अनुसार संहिता उस समय-सीमा को निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर एक आवेदन पेश किया जाना है, अपीलार्थी सेवा पुस्तिका में अपनी जन्म तिथि दर्ज करने में लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

9.3 भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य विरूद्धबासवराजू (सुप्रा) के मामले में यह निम्नानुसार अवधारित किया गया है-

" 5. जन्म तिथि के सुधार के संबंध में विधि पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जन्म तिथि सेवा अभिलेख में दर्ज हो जाने के बाद, शैक्षिक प्रमाणपत्रों के अनुसार और कर्मचारी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, उसे बदला नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, इस न्यायालय ने यह भी माना है कि जन्म तिथि में परिवर्तन पर अंतिम समय में सेवानिवृत्ति के समय विचार नहीं किया जा सकता है।

9.4 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य वी. श्याम ओरे सिंह (सुप्रा) के मामले में। जिनमें से हममें से एक (न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना) पीठ में थे, ने पैराग्राफ 9 और 10 में यह व्यक्त किया है किः

" 9. इस न्यायालय द्वारा निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवर्तन के लिए अनुरोध सेवा के अंतिम छोर पर सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि का परिवर्तन मान्य नहीं है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उस संबंध में राज्य के मामले महाराष्ट्र और अन्र। वी. गोरखनाथ सीताराम कांबले (2010) 14 एस. सी. सी. 423 जिसमें इस में निर्णय पर निर्भर कर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया एवं व्यक्त किया कि

" 16. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यू. पी. माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम राज कुमार अग्निहोत्री ((2005) 11 एससीसी 465: 2006 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 96) में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर किया है। इस मामले में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार किया है एवं व्यक्त किया है कि सेवा अभिलेख में जन्म तिथि के बारे में शिकायत की अनुमति सेवा जीवन के अंतिम चरण में नहीं दी जानी चाहिए।

17. इसके अतिरिक्त अन्य निर्णय उत्तरांचल राज्य बनाम पीतांबर दत्त सेमवाल ((2005) 11 एससीसी 477: 2006 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 106) सरकारी कर्मचारी को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया गया था कि उसने लगभग 30 के बाद सेवा रिकॉर्ड में सुधार की मांग की थी। उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए इस न्यायालय के मत में उच्च न्यायालय को लगभग तीन दशकों के बाद निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

19. हस्तगत निर्णय मामले के एक अलग आयाम की ओर ले जाते हैं कि अंतिम स्तर पर सुधार बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कीमत पर होगा, इसलिए अंतिम स्तर पर किसी भी सुधार को अदालत द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। गृह विभाग में निर्णय का प्रासंगिक भाग- वी. आर. किरुबाकरन (1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी 155: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 449: (1994) 26 एटीसी 828) इसके अंतर्गतः (एससीसी पीपी। 158- 59 , पैरा 7)

" 7. जन्म तिथि के सुधार के लिए एक आवेदन लोक सेवक का अंतिम चरण में विचार नहीं किया जा सकता है। सेवा)। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्म तिथि में सुधार के लिए इस तरह के किसी भी निर्देश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अन्य लोग वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके संबंधित पदोन्नति के लिए उनके नीचे इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। अन्य लोक सेवक अपूरणीय चोट लगने की संभावना है क्योंकि जन्म तिथि में सुधार के कारण संबंधित अधिकारी कुछ मामलों में वर्षों तक पद पर बना रहता है, जिसके भीतर उससे नीचे के कई अधिकारी वरिष्ठता में प्रतीक्षा करते हैं। उनकी पदोन्नति के लिए, वे हमेशा के लिए अपनी पदोन्नति से वंचित हो सकते हैं। ..... इस न्यायालय के मत अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक की जन्म तिथि में सुधार के संबंध में शिकायत की जांच करते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जब तक आधार पर एक स्पष्ट मामला नहीं है तथा प्रतिप्रार्थी द्वारा ऐसी सामग्री जिन्हें प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है, न्यायालय को ऐसी सामग्री के आधार पर कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो इस तरह के प्रकरण को केवल प्रशंसनीय बनाती है। ऐसा कोई भी निर्देश जारी करने से पूर्व,न्यायालय न्यायाधिकरण को पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है और जन्म तिथि में सुधार के लिए उसका दावा प्रक्रिया के अनुसार विहित, और किसी भी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया है। आवेदक पर ही अपनी सेवा पुस्तिका में अपनी जन्म तिथि की गलत पृविष्टि साबित करने का भार होता है।

10. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि दर्ज की गई जन्म तिथि गलत है, स्थापित करने के लिए उचित प्रमाण आवेदक के पास हो तब भी आवेदक सुधार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। एम. पी. राज्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास, (सुप्रा) के संबंध में इस प्रकार अभिनिर्धारित है कि-

" 8. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि में सुधार से जुड़े मामलों में, विशेष रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर या उसके कार्यकाल के अंतिम चरण में, अदालत या न्यायाधिकरण को किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि में सुधार के लिए निर्देश जारी करते समय सावधानी और सावधानी बरतनी होगी। जब तक कि न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसकी जन्म तिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जाता है और ऐसा दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाता है। यहां संबंधित विभाग द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, और संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है, न्यायालय या न्यायाधिकरण को सेवा पुस्तिका में सुधार के लिए निर्देश जारी करने से बचना चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार यह विचार व्यक्त किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में शामिल होने के लंबे समय के बाद, विशेष रूप से अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय से परे, दर्ज की गई जन्म तिथि में सुधार का अनुरोध करता है, तो वह अधिकार के रूप में अपनी जन्म तिथि में सुधार का दावा नहीं कर सकता है, भले ही उसके पास यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त आधार हो कि दर्ज की गई जन्म तिथि स्पष्ट रूप से गलत है। कोई भी अदालत या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता के लिए अग्रसर नहीं रहेगी जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तथा सोते हैं।"(देखें भारत संघ बनाम हरनाम सिंह ((1993) 2 एससीसी 162: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 375: (1993) 24 एटीसी 92))।

12. इस न्यायालय के मत एवं विचार में, जन्म तिथि के सुधार के लिए आवेदन करने में दो दशकों से अधिक की देरी प्रत्यक्ष रूप से घातक है। प्रत्यर्थी का मामला, इस तथ्य के बावजूद कि कोई विशिष्ट नियम या आदेश नहीं बनाया गया था या बनाया गया था, वह अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर ऐसा आवेदन पेश किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि ऐसी स्थिति में भी ऐसा आवेदन पेश किया जाना उचित माना जा सकता है। प्रत्यर्थी द्वारा सेवा में शामिल किए जाने के 25 साल बाद पेश आवेदन को किसी भी मानक के बिना उचित माना जा सकता है, विशेष रूप से तब जब उक्त देरी को समझाने का कोई उचित प्रयास नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी की याचिका में यह भी कोई सार नहीं है कि चूंकि एम. पी. वित्तीय संहिता का नियम 84 उस समय-सीमा को निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर एक आवेदन दायर किया जाना है, इसलिए अपीलार्थी सेवा पुस्तिका में अपनी जन्म तिथि दर्ज करने में लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

10. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जन्म तिथि परिवर्तन पर कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(i) जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन केवल लागू प्रासंगिक प्रावधान/विनियम अनुसार ही हो सकता है।

(ii) ठोस साक्ष्य के बाद ही अधिकार स्वरूप इसका दावा नहीं किया जा सकता है।

(iii) आवेदन को देरी और विलंब के आधार पर भी अस्वीकार किया जा सकता है, विशेष रूप से जब यह सेवा के अंतिम चरण में किया जाता है और/या जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाला होता है।

11. अतः उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, जन्म तिथि के परिवर्तन के लिए प्रतिवादी का आवेदन देरी और विलंब के आधार पर भी खारिज होने योग्य है एवं इसलिए ऐसा प्रतिवादी कर्मचारी घोषणा की डिक्री का हकदार नहीं था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और कानून में मान्य नहीं है।

12. यद्यपि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जब उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को लागू किया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 उसके बाद अपनी जन्म तिथि को 24.01.1961 मानते हुए सेवानिवृत्त हो गया है, जिस हेतु कि वर्तमान निर्णय और आदेश प्रभावित नहीं करेंगे। प्रत्यर्थी संख्या 1-कर्मचारी और अपीलार्थी-निगम के पक्ष में उपरोक्त के संदर्भ में विधि के प्रश्न का निर्णय पारित किया है जिसके साथ 2021 की सिविल अपील संख्या 5720 का भी निराकरण किया गया है।

13. जहाँ तक 2020 के एसएलपी छव.1062 से उत्पन्न 2021 की सिविल अपील छव.5721 का संबंध है, यह अवलोकनीय है कि विवादित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय ने 2013 के आर. एफ. ए. 1674 (2021 के सिविल 5720 का विषय) द्वारा पारित किया गया पर बहुत अधिक निर्भर किया जो कानून में भी प्रचलन योग्य नहीं है। यद्यपि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इसके बाद 2019 के डब्ल्यू. पी. 109447 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2019 के बाद अपीलार्थी-निगम को मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया तथा विलंब के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और उसके उपरांत नवीन निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश और 648 के समक्ष चुनौती दी गई थी एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने बाद की रिट याचिका जिसे भी खारिज कर दिया है। अतः वर्तमान अपील में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार अपील का निराकरण किया जाता है। कानून के प्रश्न का निर्णय अपीलार्थी-निगम के पक्ष में किया जाता है जैसा कि यहाँ ऊपर विचार किया गया है।

अपील निराकृत।

मनदीप कौर सेहमी